न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
201/2024	22.02.2024	09/02/2026

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामावतार आत्मज रामकरण जाति ब्राहमण निवासी ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा।

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट</u>

<u>–:: निर्णय ::–</u>

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम रेल तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 138 की 0–12 हेक्टर, खसरा नम्बर 413 की 1–65 हेक्टर भूमि खातेदार मांगीलाल पुत्र धन्नालाल, रामकरण पुत्र चन्दालाल, मथुरालाल पुत्र धन्नालाल हिस्सा 3/4 व चतुर्भुज, रामस्वरूप, द्वारकीलाल पुत्र रामगोपाल, शिव प्रसाद, ब्रहमानन्द पुत्र कन्हैयालाल, ग्यारसी बेवा कन्हैयालाल के नाम दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 205 संलग्न है।

2– यह कि खातेदार मांगीलाल व मथुरालाल के मृत्यु होने पर इंतकाल नं0 418 व 466 उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ। परन्तु सहवन से प्रार्थी के मृतक दादा चन्दा लाल जी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कर 1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया व प्रार्थी के पिता रामकरण जी का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/8 दर्ज कर दिया। जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 में हो रहा है।

3– यह कि उक्त हिस्सा गलत रूप से दर्ज होने व वादी के पिता रामकरण जी की मृत्यु हो जाने से रामकरण जी के वारिसान अपने पिता की सम्पूर्ण भूमि प्राप्त करने से वचित हो रहे है।

4– यह कि उक्त अंकन से वादी के पिता रामकरण जी का 1/4 के स्थान प 1/8 हिस्सा दर्ज होने से वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वह उक्त राजस्व रिकार्ड में पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी के पिता रामकरण पुत्र चन्दालाल का हिस्सा 1/4 दर्ज करावे इस हेतु यह वाद पेश है।

5– यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी को उक्त हिस्सा दुरूस्त करने के लिये व धन्नालाल पुत्र चन्दालाल का नाम विलोपित किये जाने के लिये दिनांक 2–2–24 को कहा तो उनके द्वारा दुरूस्त करने व नाम विलोपित करने से इन्कार कर दिया।

6– यह कि वाद कारण वादी के पिता का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज करने से मना करने के कारण दिनाक 2–2–24 को पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित फरमायी जावे–

1–कि ग्राम रेल तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 138 की 0–12 हेक्टर, खसरा नम्बर 413 की 1–65 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामकरण का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे व धन्नालाल पुत्र चन्दालाल का नाम विलोपित किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2–कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2025–2028 ग्राम रेल
2. नकल मिलान क्षैत्रफल
3. नकल जमाबन्दी सवंत् 2043–2048 ग्राम रेल
4. नकल जमाबन्दी सवंत् 2051–2054 ग्राम रेल
5. नकल जमाबन्दी सवंत् 2055–2058 ग्राम रेल
6. नकल जमाबन्दी सवंत् 2059–2062 ग्राम रेल
7. नकल जमाबन्दी सवंत् 2063–2066 ग्राम रेल
8. नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम रेल
9. नकल मृत्यु प्रमाण पत्र

वाद पत्र दर्ज रज़िस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पूर्व में शामिल मिसल है। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः विवादित आराजी में का वादी के पिता रामकरण का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाना व धन्नालाल पुत्र चन्दालाल नाम विलोपित किया जाना जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम रेल तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 138 की 0–12 हेक्टर, खसरा नम्बर 413 की 1–65 हेक्टर भूमि में वादी के पिता रामकरण का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाने व धन्नालाल पुत्र चन्दालाल नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09/02/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— रामावतार आत्मज रामकरण जाति ब्राहमण निवासी ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा।

(वादी)

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

मिसल नं 201/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में रेल तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 138 की 0—12 हेक्टर, खसरा नम्बर 413 की 1—65 हेक्टर भूमि में वादी के पिता रामकरण का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाने व धन्नालाल पुत्र चन्दालाल नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 09/02/26 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद